

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/1129/2019-55/20-21/राँची दिनांक-30-03-21

शुद्धि पत्र

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई दे रही वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के वर्ष 2020-21 में सामान्य सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कुल रु० 463.56 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक-05 दिनांक-18.11.2020 द्वारा निर्गत है। इस प्रशासनिक स्वीकृति के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में आंशिक संशोधन करते हुए इसकी कंडिका 23 एवं 25 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

(राशि लाख में)						
क्र०सं०	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि	TSP	OSP	SCSP
23	जलपथ प्रमंडल, गुमला	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	13.16	13.16		
25	जलपथ प्रमंडल सं०-2, चैनपुर गुमला	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	6.07	6.07		

प्रशासनिक स्वीकृति की अन्य कंडिका एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/1129/2019-55/20-21/राँची दिनांक-30-03-21

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1129/2019 55/20-21 50/राँची दिनांक- 30-03-21
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1129/2019 55/20-21 50/राँची दिनांक- 30-03-21
प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनितरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

(A)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1129/2019 55/20-21 50/राँची दिनांक- 30-03-21
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव